संख्या 730 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 19 अक्टूबर, 2006

विषयः—जनपद हरिद्वार में एस0ओ0एस चिल्ड्रेन्स विलेजज की स्थापना हेतु कुल 1.700 है0 भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0—1034/भूमि व्यवस्था—भू0अ0—06 दिनांक 07 सितम्बर, 2006 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या—120(3)/18(1) /2006 दिनांक 10—03—2006 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एस0ओ0एस0 चिल्ड्रेन विलेजज की स्थापना हेतु ग्राम लाढोवाली परगना ज्वालापुर राहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नं0—64/2म रकबा 0.200 है0 एवं खसरा नं0—66/2म रकबा 1.500 है0 कुल रकबा 1.700 है0 भूमि को राजस्व अनुभाग—1 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0—258/16(1)/73—रा—1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश सं0—1695/97—1—1(60)/93—रा0—1 दिनांक 12 सितम्बर, 1997 में शिथिलता प्रदान करते हुए रू0 1—00 नजराना जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गई मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन एस0ओ0एस0 चिल्ड्रेन्स ऑफ इण्डिया नई दिल्ली को पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति य संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

.....(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण(Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा संस्था का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु सं0 1 से 5 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल शासन।
4– एस0ओ0एस0 विल्ड्रेन्स ऑफ इण्डिया, ए–7 निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनुसचिव।